

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 24 एच. एल. ए

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक,

2024

विस्तार प्राध्यापकों तथा अतिथि प्राध्यापकों की सेवा की सुनिश्चितता हेतु

और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए

उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा विस्तार। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।  
(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियत तिथि" से अभिप्राय है, 15 अगस्त, 2024;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ग) "पात्र विस्तार प्राध्यापक" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो राजकीय महाविद्यालय में विस्तार प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और जिसने 30 जून, 2023 को या से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्हक कर ली है या पी.एच.डी. की योग्यता धारण करता है;

(घ) "पात्र अतिथि प्राध्यापक" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो राजकीय महाविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

अर्हक कर ली है या पी.एच.डी. की योग्यता धारण करता है और जिसे नियमितकरण पॉलिसी दिनांक 16 जून, 2014 के अधीन नियमित नहीं किया गया था;

(ड.) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) “विहित” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ज) “अधिवर्षिता” से अभिप्राय है, अठावन वर्ष की आयु।

सेवा की  
अवधि।

3. प्रत्येक पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा प्रत्येक पात्र अतिथि प्राध्यापक, जिसने नियत तिथि को कम-से-कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तो वह अधिवर्षिता की आयु पूरी करने तक ऐसे रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

व्याख्या.- सेवा के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम-से-कम 240 दिन के लिए कार्य किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं होगा,-

- (i) जिसने नियत तिथि को अठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; या
- (ii) जिसकी सेवा नियत तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो अथवा हटा दिया गया हो या जिसने त्याग-पत्र दे दिया हो।

पारिश्रमिक।

4. कोई पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, प्रति मास 57,700/- रूपए के पारिश्रमिक के साथ-साथ सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से प्रभावी महंगाई भत्ते (डी.ए.) की प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि (गैर-चक्रवृद्धि) का हकदार

होगा।

अतिरिक्त  
लाभ।

5. पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त करेंगे।

अनुसूची को  
संशोधित  
करने की  
शक्ति।

6. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखी जाएगी।

अनुशासन,  
शास्तियां,  
अपीलें तथा  
अन्य मामले।

7. अनुशासन, शास्तियों, अपीलों से सम्बन्धित मामलों और अन्य मामलों में, जो इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए हैं, कोई भी पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे, जो विहित किए जाएं।

कठिनाई दूर  
करने की  
शक्ति।

8. (1) यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक  
की गई  
कार्रवाई का  
संरक्षण।

9. इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

नियम बनाने  
की शक्ति।

10. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

## अनुसूची

(देखिए धारा 5)

|    |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | प्रधान मंत्री- जन आरोग्य योजना (पी0एम0-जे0ए0वाई0) चिरआयु विस्तार योजना के अधीन यथा अधिसूचित या सरकार द्वारा यथा संशोधित के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल लाभ। |
| 2. | सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में विनिर्दिष्ट दरों के समान मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपादान।                                |
| 3. | सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबन्धों के अनुसार प्रसुति प्रसुविधा।                                                    |
| 4. | ऐसी नीति, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ या अनुकंपा नियुक्ति।                                      |

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान में, 184 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 02 लाख छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के 8137 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 3348 नियमित सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की एक प्रगतिशील नीति है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियमित सहायक प्रोफेसर (कालेज कैडर), एच0-ई0-एस0-॥ समूह -बी के 2424 शिक्षण पदों को भरने के लिए एक मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। फिर भी यह एक सच्चाई है कि राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। वर्तमान में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2016 एक्सटेंशन लैक्चरर व 46 गेस्ट लैक्चरर कार्य कर रहे हैं। एक्सटेंशन लैक्चरर की नियुक्ति वर्ष 2010 में शुरू की गई थी उस समय उन्हें 200 रुपये प्रति पीरियड के आधार पर भुगतान किया जाता था और वर्तमान अतिथि व्याख्याता वर्ष 2014 से पूर्व से कार्य कर रहे हैं जोकि नियमितीकरण नीति दिनांक 16.06.2014 के तहत नियमित नहीं हुए थे। इन वर्षों में, उनके पारिश्रमिक और अन्य सलंगनता शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। योग्य एक्सटेंशन लैक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं को समान काम समान वेतन के आधार पर 57,700 प्रति माह पारिश्रमिक दिया जाता है। वे आग्रहपूर्वक अपील कर रहे हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में उनकी लम्बी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाओं की सुरक्षा पर कुछ आश्वासन दिया जाए। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यभार में साल दर साल आधार पर लगातार वृद्धि देखी गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी, 2020) के कार्यान्वयन के मद्देनजर यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। सहायक प्रोफेसरों पर काम का बोझ नियमित पदधारियों की तुलना में बहुत अधिक है।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि इन एक्सटेंशन लैक्चरर तथा अतिथि व्याख्याताओं को 58 वर्ष की आयु तक की सुरक्षा के साथ-साथ सुनिश्चित वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाए क्योंकि यह छात्रों के हित में है और कुछ एक्सटेंशन लैक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं ने भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पार कर ली है।

इसलिए, यह विधेयक प्रस्तुत है।

महीपाल ढांडा,  
उच्चतर शिक्षा मंत्री,  
हरियाणा।

चण्डीगढ़:

दिनांक 14 नवम्बर, 2024

डॉ. सतीश कुमार,  
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

## प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 10 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कार्यपालिका की शक्तियों का यह प्रत्यायोजित सामान्य प्रकृति का है। इसलिए हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 के तहत अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन है।